HARYANA STATE LOTTERIES

The 7th April, 1979

No. DOL/HR/79/15567.—The Governor of Haryana is pleased to select the following persons for the supervision of the 1st (Final) Janta Lottery Draw, held on 7th April, 1979, at Chandigarh: —

1. Mrs. Kailash Aggarwal,
   wife of
   Shri A. C. Aggarwal, I.A.S.,
   187, Sector 16-A,
   Chandigarh.
2. Mrs. Sheela Garg,
   wife of
   Shri R. D. Garg, I.A.S.,
   Kothi No. 38, Sector 19-A,
   Chandigarh.
3. Mrs. Billa Brar,
   wife of
   Shri S. S. Brar, I.P.S.,
   588, Sector 10-D,
   Chandigarh.
4. Shri A. K. Verma,
   Income Tax Officer,
   Chandigarh.
5. Shri A. N. Chatterjee, I.A. & A.S.,
   Deputy Accountant-General,
   Office of A. G., Haryana,
   Chandigarh.

The 12th April, 1979

No. DOL/HR/79/T.O/Karnal/177.—The Governor of Haryana is pleased to select the following persons for the supervision of the 151st Draw held on 12th April, 1979 at Karnal : —

1. Smt. Sulekha Kaushik,
   wife of
   Shri P. R, Kaushik, I.A.S.,
   Deputy Commissioner,
   Karnal.
2. Smt. Kamla Kapoor,
   wife of
   Shri P. L. Kapoor,
   A.G.A. to D. C.,
   Karnal.
3. Shri Hari Prem Chaudhry, H.C.S.,
   G.A. to D.C.,
   Karnal.
4. Shri H. R. Seth,
   District Excise and Taxation Officer,
   Karnal.
5. Shri H. S. Minocha,
   Secretary,
   District Red Cross Society,
   Karnal.

The 17th April, 1979

No. DOL/HR/79/15684.—The Governor of Haryana is pleased to select the following persons for the supervision of the 1st (Mini) 2nd Janta Lottery Draw, held on 17th April, 1979, at Chandigarh :—

1. Mrs. Kanta Jogpal,
   w/o
   Shri T. D. Jogpal, IAS,
   Kothi No. 70, Sector 11-A,
   Chandigarh.

2. Mrs. Raksha Garg,
W/o
Shri N. K. Garg, IAS,
Kothi No. 98, Sector 10-A,
Chandigarh.

3. Mrs. Veena Dhir,
W/o
Shri V. P. Dhir, IAS,
2052, Sector 15-C,
Chandigarh.

4. Shri Mohinder Singh, PCS,
Executive Magistrate,
U. T. Administration,
Chandigarh.

5. Shri R. C. Mehta,
Secretary to A. G. Haryana,
Chandigarh.

R. L. SUDHIR, I. A. S.,
Director of Lotteries and Joint
Secretary to Government, Haryana,
Finance Department, Chandigarh.

DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT

The 13th April, 1979

No. 884-I.E. C.D. I-79/2370.—The Governor of Haryana is pleased to constitute a Committee for the preparation of a Project for the, renovation, supervision and control of the holy tanks of "Kapalmochan" and to appoint the following as its Chairman, Vice-Chairman, Members and the Secretary :—

1.	Deputy Commissioner, Ambala	Chairman
2.	Sub-Divisional Officer (C), Jagadhri	Vice-Chairman
3.	Shri Bhagmal, M. L. A., Sadhora	Member
4.	Shri Lal Singh, M. L. A., Naraingarh	Member
5.	Shri Jagan Nath Kapoor, President, D.A.V. Institutions, Model Town Yamuna Nagar.	Member
6.	XEN Panchayati Raj, Chandigarh.	Member
7.	S. D. O. Panchayati Raj, Ambala.	Member
8.	Block Development and Panchayat Officer, Bilaspur.	Member Secretary.

Block Development and Panchayat Officer, Bilaspur, Tehsil Jagadhri, District Ambala, will act as Convenor and Secretary to the Committee.

2. The Committee will meet under the Chairmanship of the Deputy Commissioner, Ambala.

3. The Committee will function for a period of one year.

4. The Head quarter of the Committee will be at Ambala.

5. The members of the Committee will draw travelling allowance as under :—

(a) The legislators in their ex-office capacity under the Punjab Legislative Assembly (Allowance of Members) Act, 1942 and the Rules made thereunder as in force at present or as amended from time to time.

(b) Non-Official member, other than M. L. As., at one Ist Class Railway fare plus incidental allowance and road mileage as well as daily allowance as admissible to a Ist grade Government employee drawing a pay of Rs. 1,000. The other conditions laid down in the Punjab T. A. Rules for Government employees will also apply to journeys performed by the non-official member except where otherwise provided.

6. The Secretary, Haryana Vidhan Sabha, will be the Controlling Officer for the purpose of countersigning the T. A. and halting allowance bills of the M. L. As. of the Committee. Block Development and Panchayat Officer, Bilaspur, will be the Controlling Officer for the purpose of counter-signing the T. A. Bills in respect of the other none-official member.

7. T. A. and D. A. will be admissible to the non-official members (other than M. L. As.) on the production of a certificate to the effect that no T. A. in respect of the journeys or D. A. for the period mentioned in the bill has been or will be claimed by him from any other official source.

8. Travelling Allowance for attending the meeting of the Committee would be allowed to the members from their permanent place of residence to the place of meeting. If, however, a member attends a meeting from a place other than the place of his permanent residence, T. A. would be allowed to him either from the place of his residence or from where he attends the meeting, whichever is less.

9. Orders in regard to the head of account to which the expenditure on account of T.A./ D. A. of the non-official member of the Committee is to be debited will be issued separately.

Chandigarh,
Dated the 13th April, 1979.

T. K. BANERJI, Secy.

POWER DEPARTMENT

The 19th March, 1979

No 9/54/78/DSPWII.—Whereas the Land described in the Haryana Government notification No. 9/54/78/DSPWII, dated 19th March, 1979 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, has been declared to be needed at partly at public expense and partly at the expense of Haryana State Electricity Board for a public purpose, namely, for the construction of 33 K.V. Sub-Station Bhagal (Dewana) by the Haryana State Electricity Board.

Now, therefore, tn exercise of the powers conferred by section 7 of the land Acquisition Act, 1894, the Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Collector, Public works (I&P) Deptt, Ambala City to take order for the Acquisition of the land described in the specification appended to the declaration published with the aforesaid notification.

HARGO LAL, Secy.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 6 मार्च, 1979

क्रमांक 113-ज(1)-79/12768.—श्री झाबर सिंह, पुत्र श्री दीप चन्द, गांव खरसांकी, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ की दिनांक 9 जन, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री झाबर सिंह को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 349-ज(1)-77/9667, दिनांक 14 अप्रैल, 1977 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती हुकमा के नाम रबी, 1979 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 16 मार्च, 1979

क्रमांक 244-ज(1)-79/13938.—श्री देवी दयाल, पुत्र श्री दया राम, 108/109, आर. ए. बाजार, अम्बाला छावनी, तहसील व जिला अम्बाला को दिनांक 26 सितम्बर, 1976 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार

अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एंव 2(ए) (1ए) के तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री देवी दयाल को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2055-आर-4-67/1898, दिनांक 8 जून, 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती विद्या वन्ती के नाम रबी, 1977 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 191-ज(I)-79/13942.—श्री मामन सिंह, पुत्र श्री धारी राम, गांव मोतला कलां, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ की दिनांक 15 मई, 1977 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मामन सिंह को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1943-र(III)-69/15377, दिनांक 23 जून, 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती प्यारी देवी के नाम खरीफ 1977 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 30 मार्च, 1979

क्रमांक 177-ज(II)-79/15937.—पूर्वी पजाब युद्ध जागीर अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) 1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा क राज्यपाल श्री बाबू सिंह, पुत्र श्री नानकू उर्फ काकू, ग्राम बाता, तहसील नरवाना, जिला जीन्द को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 232-ज(II)-79/16000.—श्री पोखर राम, पुत्र श्री कूड़े, गांव मानकरोला तहसील व जिला गुड़गावा की दिनांक 11 सितम्बर, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4एवं 2 (ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पोखर राम को मुब्लिक 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6281-र(III)—70/3575, दिनांक 5 फरवरी, 1971 द्वारा मंजूरी की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमति मुनीमा विधवा श्री पोखर राम के नाम रबी, 1979 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

चण्डीगढ़, दिनांक 2 अप्रैल, 1979

क्रमांक 138-ज(II)-79/16135.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 905-ज(II)-78/19424, दिनांक 12 जुलाई, 1978 जो हरियाणा राजपत्र दिनांक 12 जुलाई, 1978 में मुद्रित हुई है, के क्र० सं० 2 पर वर्णित जागीरदार श्रीमती नैमकौर विधवा श्री लाल राम के सामने वाले कालम नं० 6 में प्रकाशित 150 रुपये वार्षिक युद्ध जागीर स्वीकृत करने की रबी, 1975 की बजाये, खरीफ, 1975 पढ़ी जाये।

दिनांक 7 अप्रैल, 1979

क्रमांक 103-ज(II)-79/16761.—श्री जुगलाल, पुत्र श्री गोरधन, गांव नाथूपुर तहसील व जिला गुड़गांवा की दिनांक 27-9-1977 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4एवं 2 (ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जुग लाल को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 590-र-4-69/8690, दिनांक 24 अप्रैल, 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती वसन्ती देवी के नाम रबी, 1978 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 104-ज(II)-79/16765.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्य पाल श्री डूनगर सिंह, पुत्र श्री छोटन, गांव महमुदपुर, तहसील बल्लभगढ़, जिला गुड़गावां को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्षप्रदान करते हैं।